न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O) सिवाना

बइजलास–पीठासीन अधिकारी श्री दिनेश विश्नोई आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :53 / 2021

प्रार्थी:–

1. प्रवीण कंवर पुत्री गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी देवपुरा तहसील सिवाना जिला बाडमेर
2. राणसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति राजपूत निवासी देवपुरा तहसील सिवाना जिला बाडमेर
   प्रवीण कंवर व राणसिंह दोनो नाबलिग होने से जरिये सरंक्षक नानी दरिया कंवर पत्नी कलसिंह जाति राजपूत निवासी सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थी:–

पार्टी संख्या

1. गणपतसिंह पुत्र श्री हकसिंह उर्फ हुक्मसिंह जाति राजपूत निवासी देवपुरा तहसील सिवाना जिला बाडमेर

पार्टी संख्या 2

2. मालमसिंह पुत्र श्री हकसिंह उर्फ हुक्मसिंह जाति राजपूत
3. श्रवणसिंह पुत्र श्री हकसिंह उर्फ हुक्मसिंह जाति राजपूत
4. जितेन्द्रसिंह पुत्र श्री हकसिंह उर्फ हुक्मसिंह जाति राजपूत
5. रामसिंह पुत्र श्री हकसिंह उर्फ हुक्मसिंह जाति राजपूत
6. छैलकंवर बेवा श्री हकसिंह उर्फ हुक्मसिंह जाति राजपूत
7. ईश्वरसिंह पुत्र श्री अभयसिंह जाति राजपूत
8. तारसिंह पुत्र श्री अभयसिंह जाति राजपूत
9. जयसिंह पुत्र श्री हेमसिंह जाति राजपूत
10. कैलाश पुत्र मंगला जाति राजपूत
11. जबरा पुत्र मंगला जाति राजपूत
12. कृष्णकुमार पुत्र चनणा नाबलिग जरिये सुखादेवी चनणा श्री चन्दना जाति पुरोहित
13. जीतुसिंह पुत्र चनणा नाबलिग जरिये सुखादेवी पत्नी श्री चनणा जाति पुरोहित
14. मांगीलाल पुत्र चनणा जाति पुरोहित
15. सुखादेवी पत्नी चनणा जाति पुरोहित
16. मीराकंवर पत्नी अभयसिंह जाति पुरोहित
17. गोपाराम पुत्र वजाराम जाति रबारी
18. जांजु पत्नी वजाराम जाति रबारी
19. तेजाराम पुत्र वजाराम जाति रबारी
20. शान्ता पत्नी सुखराम जाति [illegible] निवासी [illegible] धारणा तहसील सिवाना जिला बाडमेर
21. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.01.24 17:43:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित:– 1. श्री कैलाशपुरी अधिवक्ता प्रार्थीगण
2 विप्रार्थी संख्या 1 ता 21 अनुपस्थित

–::आदेश::–

दिनांक –26.12.2022

प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 सपठित धारा 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी. के तहत विप्रार्थीगण के विरूद्व पेश किया गया है, प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 ता 20 की संयुक्त खातेदारी की पैतृक कृषि भूमि राजस्व ग्राम देवपुरा में खसरा संख्या 277, 894/287, 35, 892/62 रकबा क्रमशः 5.5037, 4.6944, 14.6335 व 8.8869 व राजस्व ग्राम धारणा में खसरा संख्या 722 व 723 रकबा 9.7772 व 6.5964 हैक्टयर किस्म धोरा भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण, विप्रार्थी संख्या 1 के जायन्दा संतान है। प्रार्थीगण के माता का देहान्त वर्ष 2008 में हो गया था। प्रार्थीगण के पिता विप्रार्थी संख्या 1, प्रार्थीगण से गलत तौर से व्यवहार करता है तथा विप्रार्थी संख्या 7 व 8 के बहकावे में आकर प्रार्थीगण के हकों पर कुठाराघात कर भूमि को हस्तानान्तरण करने हेतु आमादा है। विवादित भूमि पैतृक होने से प्रार्थीगण के विप्रार्थी संख्या 1 के साथ जन्म से ही बराबर–बराबर हक विधि के तहत विद्यमान हैं। यदि प्रार्थीगण के पिता विप्रार्थी संख्या 1, विप्रार्थी संख्या 7 व 8 के बहकावे में आकर सम्पूर्ण भूमि विप्रार्थी संख्या 7 व 8 को बेचान कर देते हैं तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। विप्रार्थी संख्या 1 विवादित भूमि को रदोबदल या अन्तरण नहीं करे, इस हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया ।

विप्रार्थी संख्या 7 ता 9 व 16 की ओर से वकील श्री अचलाराम व विप्रार्थी संख्या 10 से 15 की ओर से वकील श्री महेन्द्रसिंह सोढा उपस्थित हुये। दीगर विप्रार्थीगण के विरूद्व बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

विप्रार्थी संख्या 7 ता 9 व 16 तथा विप्रार्थी संख्या 10 ता 15 के अधिवक्ता द्वारा कई अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं किये जाने पर जवाब का अवसर बन्द किया गया।

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित पदो को दोहराते हुये बताया कि प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 20 की संयुक्त खातेदारी की पैतृक कृषि भूमि राजस्व ग्राम देवपुरा में खसरा संख्या 277, 894/287, 35, 892/62 रकबा क्रमशः 5.5037, 4.6944, 14.6335 व 8.8869 व राजस्व ग्राम धारणा में खसरा संख्या 722 व 723 रकबा 9.7772 व 6.5964 हैक्टयर किस्म धोरा भूमि अवस्थित है, उक्त विवादित भूमि प्रार्थीगण के दादा हकसिंह उर्फ हुक्मसिह की पैतृक भूमि थी, उनके देहान्त के बाद उक्त [illegible] के पिता विप्रार्थी संख्या 1 गणपतसिंह की खाते[illegible] में दर्ज [illegible] की माता सागर का देहान्त वर्ष 2008 में ही हो [illegible]र्थीगण का सार–संभार नहीं करता है तथा विप्रार्थी संख्या 7 व 8 के बहकावे में आकर विवादित भूमि को खुर्द बुर्द कर विप्रार्थी संख्या 7 व [illegible] को बेचान करने पर आमादा है। विवादित भूमि पैतृक होने से प्रार्थीगण का विप्रार्थी संख्या 1 के साथ बराबर –बराबर कूननी हक है। यदि विप्रार्थी संख्या 1 विवादित भूमि का बेचान कर देता है, तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। सुविधा का संतुलन व साम्या का सिद्वान्त भी प्रार्थीगण के हक मे विद्यमान है। अतः विप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.01.24 17:43:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना
सहायक कलक्टर
(S.D O.) सिवाना

इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि मूल वाद के निस्तारण तक विप्रार्थी संख्या 1 विवादित भूमियों का बेचान नहीं करे तथा मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद अब इस न्यायालय को यह तय करना है कि क्या प्रार्थीगण निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है?

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन व अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध वंश सजरा व प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेज (आधारकार्ड) अनुसार विप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण का पिता है, विवादित भूमि पैतृक है, विवादित भूमि विप्रार्थी संख्या 1 को उसके पिता हकसिंह उर्फ हुक्मसिंह से प्राप्त हुई। यदि विप्रार्थी संख्या 1 विवादित भूमियों का अन्तरण कर देता है, तो प्रार्थीगण अपने विधिक हक से महरूम हो जायेंगे।

न्याय के तीनो बिन्दू प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में निहित है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम देवपुरा तहसील सिवाना की खसरा संख्या 277, 894/287, 35, 892/62 रकबा क्रमशः 5.5037, 4.6944, 14.6335 व 8.8869 एवं ग्राम धारणा तहसील सिवाना की खसरा संख्या 722 व 723 रकबा क्रमशः 9.7772 व 6.5964 हैक्टेयर भूमि के संबंध में ताफैसला मूल वाद विप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध किसी प्रकार का बेचान नहीं किये जाने के आदेश जारी किये जाते हैं।

(दिनेश विश्नोई)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

आदेश आज दिनांक 26.12.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

(दिनेश विश्नोई)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.01.24 17:43:11 IST
Reason: SelfAttested